

राजस्थान सरकार  
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेस्टोरेशन आवेदन पत्र संख्या : 06 / 2011 / जयपुर

श्री मदनलाल मार्फत मै ० गायत्री ट्रेवल्स,  
रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने,  
12, हेडगेवार बस स्टेण्ड, नीमच । (मध्य प्रदेश) .....प्रार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
उड़नदस्ता—द्वितीय, राजस्थान—जयपुर । .....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ.पी.महेश्वरी,  
अधिकृत प्रतिनिधि । .....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,  
उप—राजकीय अधिवक्ता, .....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.08.2014

निर्णय

1. उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 271 / 2007 / जयपुर, में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता—द्वितीय, राजस्थान—जयपुर (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) ने प्रार्थी द्वारा माल के परिवहन के दौरान राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन अवधारित कर, प्रार्थी व्यवहारी के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 धारा 78(5), 78(11) व 78(12) के तहत शास्ति आरोपित की गयी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने जरिये आदेश दिनांक 24.07.2006 के अपील स्वीकार कर ली। जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जरिये आदेश दिनांक 18.05.2010 को एकपक्षीय आदेश गुणावगुण पर निर्णित कर, अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ अप्रार्थी सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त पारित निर्णय दिनांक 18.05.2010 के विरुद्ध प्रार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त रेस्टोरेशन आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2010 प्रस्तुत किया गया है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

1

लगातार.....2

4. प्रार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में सुनवायी तिथि 15.12.2009 की सूचना प्रार्थी व्यवहारी/अभिभाषक को नहीं थी। इस संबंध में कथन किया कि प्रार्थी व्यवहारी के अभिभाषक की केस डायरी में उक्त सुनवायी तिथि 15.12.2009 अंकित नहीं थी। अतः वह सुनवायी के दौरान उपस्थित नहीं हो पाया था। इस संबंध में एकपक्षीय आदेश प्राप्त होने पर, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा रेस्टोरेशन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है जिससे प्रार्थी व्यवहारी अपना पक्ष प्रस्तुत करे। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत 16 टैक्स अपडेट 192 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में गुणावगुण पर पारित एकपक्षीय आदेश को अपार्स्ट कर, प्रकरण को पुनः सुनवायी हेतु नियत किया गया था। पुनः अभिवाक् किया कि माननीय न्यायालयों द्वारा निरंतर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता रहा है कि व्यवहारी के अभिभाषक/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गयी त्रुटियों/गलतियों के लिये व्यवहारी को उत्तरदायी ठहराना विधिसम्मत नहीं है। अतः कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 18.05.2010 को recall करने की प्रार्थना कर, अभिभाषक को प्रार्थी व्यवहारी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया। अपने उक्त तर्क के समर्थन में (1990) 25 ई.सी.सी. 412 को प्रोद्धरित किया गया।

5. गुणावगुण पर कथन कि परिवहनीत माल राजस्थान राज्य से बाहर लदान किया जाकर राजस्थान राज्य के लिये परिवहनीत नहीं किया जा रहा था फिर भी अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित की गयी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सोडी ट्रांसपोर्ट 108 एस.टी.सी. 490 व 10 एस.टी.टी. 218 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय के संबंध में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना का स्वीकार कर, अभिभाषक को प्रार्थी व्यवहारी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया।

6. अप्रार्थी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत “रेस्टोरेशन” आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में “गुणावगुण” पर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 18.05.2010 को पारित किया गया है जो संचेतन मस्तिष्क से पारित किया गया है। अतः इस संबंध में पुनः सुनवायी कर, निर्णय पारित करना विधिसम्मत

रेस्टोरेशन आवेदन पत्र संख्या : 06/2011/जयपुर

नहीं है क्योंकि यदि ऐसी किया जाता है तो उक्त पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण की श्रेणी में समिलित होगा जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स मकड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 / 2011 निर्णय दिनांक 29. 03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अविधिक है। अतः प्रस्तुत “रेस्टोरेशन” आवेदन पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का सम्मान अध्ययन किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी व्यवहारी की अनुपस्थिति में, गुणावगुण पर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 18.05. 2010, पारित किया गया है जिसके संबंध में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। हस्तगत प्रकरण के संबंध में इस पीठ के समक्ष जो बिन्दु निर्णयार्थ है वह यह कि क्या रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा गुणावगुण पर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। उक्त बिन्दु पर निर्णय से पूर्व राजस्थान विक्य कर नियम, 1995 के नियम 33 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 33 का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जिनका मूल पठन इस प्रकार है:-

**विक्य कर नियम-33.— Dismissal in default.** (1) Where an appellant or his authorized representative does not appear on the date fixed for hearing to an appeal filed under rule 30 or 31, the appellate authority or the Tax Board, as the case may be, may dismiss the appeal in default.

(2) Where the appellant makes an application on plain paper within thirty days of the date of communication of such order, and satisfies the authority who has dismissed the appeal that he was prevented by sufficient cause from appearing before him on the date that had been fixed for hearing, such appeal may be restored with such conditions as may be deemed fit.

**मूल्य परिवर्धित कर नियम 33.— Dismissal in default.** (1) Where an appellant or his authorized representative does not appear on the date fixed for hearing of an appeal filed under rule 30 or 31, the appellate authority or the Tax Board, as the case may be, may dismiss the appeal in default.



(2) Where the appellant makes an application in Form VAT-32 within thirty days of the date of communication of such order, and satisfies the authority who dismissed the appeal, that he was prevented by sufficient cause from appearing before him on the date that had been fixed for hearing, such appeal may be restored with such conditions as may be deemed fit.


8. उपर्युक्त प्रावधानों/नियमों से स्पष्ट है कि कोई भी अपील उसी स्थिति में ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित की जा सकेगी जब सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हो कि नियत की गयी तारीख को व्यवहारी या अधिकृत प्रतिनिधि उसके समक्ष पर्याप्त हेतुक से निवारित था। परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त रिथि लागू नहीं होती क्योंकि प्रार्थी व्यवहारी के अभिभाषक सुनवायी हेतु संबंधित पीठ के समक्ष दिनांक 19.08.2009 को उपरिथित हुये थे जिसके पश्चात् सुनवायी तिथि दिनांक 18.09.2009 नियत की गयी। दिनांक 18.09.2009 को न तो प्रार्थी व्यवहारी एवम् न ही अधिकृत प्रतिनिधि ही सुनवायी हेतु उपरिथित हुये एवम् प्रकरण को पुनः सुनवायी हेतु दिनांक 15.12.2009 को नियत किया गया। जिसके पश्चात् उक्त दिनांक को कर बोर्ड की संबंधित पीठ द्वारा प्रकरण के संबंध में उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा की गयी बहस को सुना जाकर प्रकरण को निर्णय हेतु आरक्षित रखा गया एवम् प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 18.05.2010 को पारित कर, प्रकरण को जांच कर, आदेश पारित करने हेतु अप्रार्थी सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है जिनके समक्ष वह पुनः अपना पक्ष रख सकता है। अतः प्रार्थी व्यवहारी की ओर से यह तर्क कि प्रार्थी व्यवहारी अपना पक्ष रखने में असफल रहा जिसके अभाव में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, उक्त तर्क विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

9. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि यदि गुणावगुण के आधार पर पारित निर्णय के संबंध में यह पीठ प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लेती है तो उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के संबंध में पुनः सुनवायी कर, निर्णय पारित करना “पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण” की श्रेणी में सम्मिलित होगा जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अविधिक है। अतः इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क कि प्रकरण में सुनवायी का मौका नहीं दिये जाने कारण रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये, विक्य कर नियम, 1995 की धारा 33 व मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 33 व माननीय उच्चतम न्यायालय मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील

253 के परिप्रेक्ष्य में बलयुक्त नहीं है। प्रार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय 18.05.2010 गुणावगुण पर निर्णित कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रतिप्रेषित किया गया है। फलस्वरूप, प्रार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष रखने का अवसर है एवम् वह न्याय से वंचित नहीं रहा है। अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को सम्मान व्यक्त कर, यह पीठ हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं अवधारित करती है। इस संबंध में विक्रय कर नियम व मूल्य परिवर्धित कर नियम के नियम 33 में यह भी स्पष्ट प्रावधित है कि यदि प्रकरण व्यतिक्रम में खारिज किया जाना “Dismiss in default” का प्रकरण हो तो ही रेस्टोर किया जा सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2010 गुणावगुण पर पारित किया जाकर जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः इस संबंध में प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को सम्मान व्यक्त कर, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।

10. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।

11. निर्णय प्रसारित किया गया।

  
( मदन लाल )  
सदस्य